हरिभूमि
epaper.haribhoomi.com
Main - 28 Jun 2025 - Page 8

बरामद किया।

पीड़िता की गवाही विश्वसनीय और सुसंगत हो तो उसी आधार पर दोष सिद्ध किया जा सकता है

बिलासपुर। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पाक्सो), अंबिकापुर द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा है। मामला 30 जून 2020 को दर्ज की गई एक शिकायत से संबंधित है, जिसमें पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी 14 वर्षीय बेटी 29 जून की शाम को अपनी सहेलियों के साथ टहलने निकली थी और वापस नहीं लौटी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पीड़िता की गवाही, चिकित्सकीय और दस्तावेजी साक्ष्यों से पूर्णतः पुष्ट होती है। इसमें किसी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। शिकायत के बाद जांच की गई तो पाया गया कि गांव में अक्सर आने-जाने वाला युवक पीड़िता से मिला था। पीड़िता ने भी अपने बयान में बताया कि आरोपी उसे कछार के जंगल में ले गया, रातभर वहीं रखा और उसके साथ बलात्कार किया। मामले में पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण) के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई, फिर जांच के बाद आईपीसी की धारा 376(3), 376(2)(जी) और पास्को अधिनियम की धारा 3(ए)/4(2) एवं 5(जी)/6 के तहत आरोप तय किए गए।